दिल्ली विकास प्राधिकरण

लेखा अधिकारी (चिकित्सा)–I कार्यालय
सी–2/102 ए., पहली मंजिल, सी–ब्लॉक, विकास सदन,
आई.एन.ए., नई दिल्ली–110023

दिनांक : 02.02.18

संख्या : एफ.2(11)2015–16/एम सी–II/43

<u>वित्त एवं व्यय परिपत्र संख्या 02</u>

विषयः दिल्ली विकास प्राधिकरण के 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के समूह 'क' अधिकारियों के लिए वार्षिक चिकित्सा जांच की शुरूआत ।

क. संक्षिप्त पूर्ववृत्त : प्राधिकरण ने एजेंडा मंद संख्या 62/2017 द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया एवं अनुमोदित किया (एफ.4(3)2017/पी एण्ड सी (पी))

"भारत सरकार ने पैनलबद्ध अस्पतालों के बीच समझौता ज्ञापन(एम.ओ.यू.) करते हुए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21011/1/2009–इस्टै.(ए)–पार्ट दिनांक 15 जनवरी, 2015 द्वारा 40 वर्ष और उससे अधिक की आयु वाले केंद्रीय सिविल सेवा/पदों के समूह 'क' अधिकारियों के लिए वार्षिक चिकित्सा जांच की शुरूआत की है और समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित प्रावधानों का प्रस्ताव किया जा रहा है :

(i) पुरूष अधिकारियों की वार्षिक चिकित्सा जांच – 2000/–रुपये
(ii) महिलो अधिकारियों की वार्षिक चिकित्सा जांच – 2200/–रुपये"

ख. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश (ओ.एम. संख्या 21011/1/2009–इस्टै.(ए)–पार्ट, दिनांक 15 जनवरी, 2015 का संबद्ध सार

"पैनलबद्ध किए गए अस्पताल 40 वर्ष और उससे अधिक की आयु के केंद्रीय सिविल सेवा के समूह 'क' के अधिकारियों और सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित संलेख (प्रोटोकाल) के अनुसार यथा निर्दिष्ट सी.जी.एच.एस. के लाभार्थियों की अन्य श्रेणियों की सभी जांच/नैदानिक परीक्षणों/परामर्श इत्यादि को करने के लिए इन शर्त पर सहमत होंगे कि अस्पताल केंद्र सरकार के उन पुरूष अधिकारियों की निर्धारित चिकित्सा जांच करवाने के लिए **2000/–रुपये से अधिक** और महिला अधिकारियों की निर्धारित चिकित्सा जांच करवाने के लिए **2200/–रुपये से अधिक** नहीं लेंगे, जो अपने विभाग/मंत्रालय/सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित अनुमति के साथ अस्पताल/संस्थान में आए हों ।"

ग. **प्राधिकरण** ने एजेंडा मद संख्या 62/2017 (दिनांक 20.11.2017 को हुई प्राधिकरण की बैठक) द्वारा 40 वर्ष और उससे अधिक की आयु के समूह "क" अधिकारियों के लिए वार्षिक चिकित्सा जांच को **अनुमोदित कर दिया है ।**

घ. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, वित्त शाखा ने दि.वि.प्रा. के **पैनलबद्ध 04 अस्पतालों (क्रेडिट सुविधा सहित जिसे सहमति दे दी गई है और वार्षिक चिकित्सा जांच की सी.जी.एच.एस. अनुमोदित सूची में भी है)** को यह कार्य सौंपा है और ये अस्पताल 2000/–रुपये/2200/–रुपये प्रति जांच की दर से दि.वि.प्रा. के अधिकारियों की वार्षिक चिकित्सा जांच करेंगे । इन 04 पैनलबद्ध अस्पतालों की सूची निम्न प्रकार से है :–

1.	प्राइमस अस्पताल, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
2.	बी.एल. कपूर मेमोरियल अस्पताल, पूसा रोड, नई दिल्ली
3.	कालरा अस्पताल, कीर्ति नगर, नई दिल्ली
4.	कैलाश अस्पताल, नोएडा

ङ. उपर्युक्त 04 अस्पताल कैश लैस सुविधा प्रदान करने के लिए सहमत हो गए हैं । तथापि, कर्मचारी दि.वि.प्रा. के अन्य सी.जी.एच.एस. पैनल अस्पतालों में जा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 2000/–रुपये/2200/–रुपये की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

मुख्य लेखा अधिकारी

सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ

प्रतिलिपि प्रेषित :–

1. उपाध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य अधिकारी के सूचनार्थ ।
2. वित्त सदस्य के विशेष कार्य अधिकारी के सूचनार्थ ।
3. अभियंता सदस्य के विशेष कार्य अधिकारी के सूचनार्थ ।
4. प्रधान आयुक्त (कार्मिक) के निजी सचिव ।
5. आयुक्त (कार्मिक) के निजी सचिव ।
6. मुख्य अभियंता (मुख्यालय) के निजी सचिव ।
7. सभी क्षेत्रीय कार्यालय ।
8. निदेशक (कार्मिक)–I एवं निदेशक (कार्मिक)–II
9. निदेशक (उद्यान) दक्षिण पूर्व एवं उत्तर पश्चिम ।

2/2/18

लेखा अधिकारी (चिकित्सा)–I